बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषय :– राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिये मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत इस योजना हेतु प्रोत्साहन राशि रू0 102.50 करोड़ (एक सौ दो करोड़ पचास लाख रुपये) की विमुक्ति के संबंध में।

राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने के उदेश्य से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने मे अभिरूची पैदा करने के उदेश्य से एक विशेष स्व–रोजगार सृजन योजना की आवश्यकता महसूस की जा रही हैं, जिसका क्रियान्वयन कर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को सृजित करना है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुको के लिये वित्तीय वर्ष 2014–15 में रु0 98.23 (अन्ठानबे करोड़ तेईस लाख रुपये), वित्तीय वर्ष 2015–16 में रु0 100. 07 (एक सौ करोड़ सात लाख रुपये), वित्तीय वर्ष 2016–17 में रु0 80.85 (अस्सी करोड पचासी लाख रुपये) एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 में 70.39 (सत्तर करोड़ उन्चालीस लाख रुपये) की राशि का उपबंध राज्य सरकार द्वारा किया गया जिसका व्यय नहीं होने के फलस्वरूप राशि को सरकारी कोष में जमा करना पड़ा। इन वर्गो के लिए इस योजना का दिशानिर्देश सहज एवं सरल होगा जिससे इस योजना का कार्यान्वयन आसानी से हो सके।

1. परिचय :–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा स्व–रोजगार हेतु बैंकों के द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिये कोलेट्रॉल सेक्युरिटी (प्रतिभूति) एवं मार्जिन मनी हेतु राशि नहीं रहने के कारण संबंधित प्रक्षेत्र के लाभुकों का ऋण स्वीकृत नहीं हो पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग, बिहार, पटना के द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना लागू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत संबंधित प्रक्षेत्र के युवा एव युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 5.00 (पॉच) लाख ब्याज मुक्त ऋण तथा 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 5.00 (पॉच) लाख विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) सहायता के लिए प्रति इकाई रू0 25,000/– (पचीस हजार रुपये) की दर से व्यय किया जायेगा। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा की जायेगी।

2. इस योजना अर्न्तगत लाभर्थियों की योग्यता निम्नवत होगी :–

i. बिहार के निवासी हो।
ii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत हो।
iii. कम–से–कम 10+2 या इन्टरमीडियट, आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उतीर्ण हो।
iv. 18 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के हों।
v. इकाई प्रोपराईटरशीप फर्म, पार्टनरशीप फर्म, LLP अथवा Pvt.Ltd.Company के तहत निबंधित हो।

3. इस योजना अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जो निम्नवत हैं :–

i.	प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना	–	अध्यक्ष
ii.	निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय	–	सदस्य–सह–सचिव
iii.	उद्योग निदेशक, बिहार, पटना	–	सदस्य
iv.	प्रबध निदेशक, बिहार राज्य वित्त निगम, पटना	–	सदस्य
v.	विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार	–	सदस्य
vi.	उप उद्योग निदेशक, योजना प्रभारी, उद्योग विभाग	–	सदस्य
vii.	चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना के प्रतिनिधि	–	सदस्य
viii.	विकास प्रबंधन संस्थान, पटना के प्रतिनिधि	–	सदस्य
ix.	अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ, पटना	–	सदस्य
x.	अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, पटना	–	सदस्य

4. इस योजनान्तर्गत लाभुकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन बिहार स्टार्ट अप फंड ट्रस्ट को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त समिति द्वारा परियोजना के लिए राशि का मूल्यांकन उद्यमी की आवश्यकताओं को देखते हुए की जायेगी एवं आवश्यक राशि स्वीकृत की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजना की प्रथम किस्त के रूप मे रू0 102.50 करोड़ (एक सौ दो करोड़ पचास लाख रुपये) विमुक्त किया जा रहा है। आवेदकों की संख्या में वृद्धि के अनुसार इस योजनान्तर्गत समुचित राशि का उपबंध किया जायेगा।

5. इस योजना के अन्तर्गत केवल नये उद्योगों के लिए लाभ देय होगा। इन इकाईयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 का लाभ देय होगा।

6. इस योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की विमुक्ति तीन चरणों में की जायेगी। प्रथम किस्त का भुगतान परियोजना स्वीकृति के उपरान्त 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) किया जायेगा। उद्यमी द्वारा भूमि की व्यवस्था तथा शेड का निर्माण के उपरांत द्वितीय किस्त परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 5.00 (पॉच) लाख विमुक्त किया जायेगा। उद्यमी द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी की स्थापना एवं प्रथम तथा द्वितीय किस्त की उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरांत शेष अनुदान के रूप में 25 प्रतिशत राशि अधिकतम रु0 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) का भुगतान किया जायेगा।

7. इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम रु0 10.00 लाख का 50 प्रतिशत ब्याज रहित ऋण स्वीकृत की जायेगी तथा इसकी वसूली बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 सामान किस्तों में की जायेगी। प्रथम किस्त परियोजना स्वीकृति के 01 (एक) वर्ष के उपरान्त देय होगी। योजना का शेष 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की जायेगी। कुल परियोजना लागत 50:50 के ऋण एवं अनुदान में होगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) सहायता के लिए प्रति इकाई रू0 25,000/– के दर से व्यय किया जायेगा। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।

8. प्रस्तावित राशि का व्यय (I) मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80– सामान्य, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष– 0102–इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, विपत्र कोड–23–2852807890102, विषय शीर्ष–0102.31.06, सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में रु0 16.00 करोड़ बजट उपबंध में उपबंधित राशि में से रु0 2,33,75,000 एवं

मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–08– उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष–0101–आर्थिक सहायता, विपत्र कोड–23– 2852087960101, विषय शीर्ष–0101.31.06, सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में रु0 3.00 करोड़ बजट उपबंध में उपबंधित राशि में से रु0 16,25,000 की जायेगी।

(II) मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80– सामान्य, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष– 0101–व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन, विकास एवं रख रखाव बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड–23–2852807890101, विषय शीर्ष–0101.27.01 लघु कार्य मद मे रु0 26.35 करोड़ एवं मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्य

शीर्ष–80– सामान्य, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष– 0105–प्री प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड–23–2852807890105, विषय शीर्ष–0105 33.01 सब्सिडी मद में रु0 15.00 करोड़ अर्थात कुल रु0 41.35 करोड़ बजट उपबंध में उपबंधित राशि एवं

मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80– सामान्य, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष–0123–व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत सुविधाओं का सृजन, विकास एवं रख रखाव बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड–23–2852807960123, विषय शीर्ष–0123.27. 01 लघु कार्य मद में रु0 1.08 करोड एवं मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष– 0122–प्री प्रोडक्शन एवं प्रोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड–23–2852807960122, विषय शीर्ष–0122 33.01 सब्सिडी मद से रु0 25.00 लाख अर्थात कुल रु0 1.33 करोड़ बजट उपबंध में उपबंधित राशि से की जायेगी।

शेष राशि का उपबंध विभागीय उद्व्यय के अंतर्गत आंतरिक सामंजन से प्रस्तावित है।

9. राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिये मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत इस योजना हेतु प्रोत्साहन राशि रु0 102.50 करोड़ (एक सौ दो करोड़ पचास लाख रुपये) की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

17/5/2018

(डा0 एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 782 /पटना, दिनांक– 17.05.18

स0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी(सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

17/5/2018

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 782 /पटना, दिनांक– 17.05.18

सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार(ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

17/5/2018

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 782 /पटना, दिनांक– 17.05.18

सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपिः– सभी विभागाध्यक्ष/उद्योग विभाग के सभी निगम/ प्राधिकार/मंत्री उद्योग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/5/2018

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 782 /पटना, दिनांक– 17.05.18

सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक, एम0एस0एम0ई0डी0आई0, पाटलीपुत्रा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

17/5/2018

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 782 /पटना, दिनांक– 17.05.18

सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

17/5/2018

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 782 /पटना, दिनांक– 17.05.18

सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ/अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज को सूचनार्थ प्रेषित।

17/5/2018

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 782 /पटना, दिनांक– 17.05.18

सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/5/2018

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(9)

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषय :– राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों के साथ–साथ अति पिछड़ा वर्ग के युवा–युवतियों को भी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की स्वीकृति संबंधी निर्गत संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 में संशोधन एवं अति पिछड़ा वर्ग हेतु रु0 102.50 करोड़ की योजना की स्वीकृति।

विभागीय संकल्प संख्या–782 दिनांक–17.05.2018 द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने में अभिरूची पैदा करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना लागू है। राज्य में अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की स्थिति अच्छी नहीं रहने के कारण उनका उन्नयन इस वर्ग के युवा एवं युवतियों को बिना उद्यमी बनाये संभव नहीं हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

उक्त के आलोक में अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को उद्योग स्थापित करने में अभिरूची पैदा करने के उद्देश्य से इस योजना का लाभ अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को देने हेतु मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की स्वीकृति संबंधी निर्गत संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है :–

1. संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 के **विषय** में प्रयुक्त शब्दों "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति" को शब्दों "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 के **प्रथम पैरा के अंतिम वाक्य** के पूर्व निम्न वाक्य जोड़ा जाता है :–

"राज्य में अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की स्थिति अच्छी नहीं रहने के कारण इनका उन्नयन इस वर्ग के युवा एवं युवतियों को बिना उद्यमी बनाये संभव नहीं हो सकता है। अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अधिक से अधिक संख्या में उद्यमी बनने से राज्य के औद्योगीकरण की दिशा में बल मिलेगा तथा राज्य के समावेशी (Equitable) आर्थिक सम्पन्नता में वृद्धि होगी।"

3. संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 की **कंडिका–1. परिचय** में प्रयुक्त शब्दों "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति" को "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

4. संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 की **कंडिका–2(II) एवं 2(V)** को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

कंडिका संख्या	संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 में वर्त्तमान प्रावधान	संशोधन के बाद का प्रावधान	संशोधन का औचित्य
2(II)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत हो।	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत हो।	अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को इस योजना का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से।

2(V)	इकाई प्रोपराईटरशीप फर्म, पार्टनरशीप फर्म, LLP अथवा Pvt. Ltd. Company के तहत निबंधित हो।	इकाई प्रोपराईटरशीप, पार्टनरशीप फर्म, LLP अथवा Pvt. Ltd. Company हो।	प्रोपराईटरशीप व्यवसाय उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जाता है।

5. संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 की **कंडिका–3(X)** के उपरान्त नई कंडिका–3(XI) एवं 3(XII) निम्न प्रकार जोड़ी जाती है :–

"3(XI) प्रधान सचिव/सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग के प्रतिनिधि – सदस्य

"3(XII) प्रधान सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रतिनिधि – सदस्य"

6. संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 की **कंडिका–7** को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

कंडिका संख्या	संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 में वर्त्तमान प्रावधान	संशोधन के बाद का प्रावधान	संशोधन का औचित्य
7	इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम रु0 10.00 लाख का 50 प्रतिशत ब्याज रहित ऋण स्वीकृत की जायेगी तथा इसकी वसूली बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 सामान किस्तों में की जायेगी। प्रथम किस्त परियोजना स्वीकृति के 01 (एक) वर्ष के उपरान्त देय होगी। योजना का शेष 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की जायेगी। कुल परियोजना लागत 50:50 के ऋण एवं अनुदान में होगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) सहायता के लिए प्रति इकाई रू0 25,000/– के दर से व्यय किया जायेगा। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।	इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम रु0 10.00 लाख का 50 प्रतिशत ब्याज रहित ऋण स्वीकृत की जायेगी तथा इसकी वसूली योजना के तहत तृतीय एवं अंतिम किस्त के भुगतान के 01 (एक) वर्ष के उपरान्त बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 सामान किस्तों में की जायेगी। योजना का शेष 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की जायेगी। कुल परियोजना लागत 50:50 के ऋण एवं अनुदान में होगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) सहायता के लिए प्रति इकाई रू0 25,000/– के दर से व्यय किया जायेगा। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।	इस योजना के तहत तीनों किस्त के भुगतान में लगभग 01(एक) वर्ष से अधिक समय लगने की संभावना के कारण।

7. इस योजना के अन्तर्गत अति पिछड़ा वर्ग हेतु रु0 102.50 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

8. आवेदन पत्रों की स्वीकृति उपलब्ध बजट सीमा के अन्तर्गत की जायेगी।

9. आबादी के अनुसार जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।

10. विभाग प्राप्त आवेदन पत्रों के चयन हेतु पारदर्शी प्रक्रिया एवं मापदण्ड निर्धारित करेगा तथा इस योजना के लिए आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

11. वर्तमान में बजट उपबंध नहीं है, उदव्यय प्राप्त करने एवं बजट उपबंध प्राप्त करने की कारवाई अलग से की जा रही है।

12. संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

13. विभागीय संकल्प संख्या–782 दिनांक–17.05.2018 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

03/02/2020

(नर्मदेश्वर लाल)
सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 204 /पटना, दिनांक– 04/02/2020
सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/2018
प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी(सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

03/02/2020

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 204 /पटना, दिनांक– 04/02/2020
सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018
प्रतिलिपिः– महालेखाकार(ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

03/02/2020

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 204 /पटना, दिनांक– 04/02/2020
सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018
प्रतिलिपिः– सभी विभागाध्यक्ष/उद्योग विभाग के सभी निगम/प्राधिकार/मंत्री उद्योग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/02/2020

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 204 /पटना, दिनांक– 04/02/2020
सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018
प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक, एम0एस0एम0ई0डी0आई0, पाटलीपुत्रा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

03/02/2020

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 204 /पटना, दिनांक–04/02/2020

सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 204 /पटना, दिनांक–04/02/2020

सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ/अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 204 /पटना, दिनांक–04/02/2020

सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषय :– मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना की स्वीकृति संबंधी निर्गत संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 एवं संकल्प ज्ञापांक 204 दिनांक 04.02.2020 में संशोधन।

राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग के युवा एवं युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 एवं संकल्प ज्ञापांक 204 दिनांक 04.02.2020 द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना लागू है।

2. योजना के तहत परियोजना के कम समय में सुचारू रूप से पूरा करने हेतु संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 एवं संकल्प ज्ञापांक 204 दिनांक 04.02.2020 की निम्न संशोधन किया जाता है :–

i. कंडिका–2(iv)– आवेदकों की उम्र सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष तक निर्धारित किया जाता है।
ii. कंडिका–6– लाभुकों को स्वीकृत परियोजना राशि की विमुक्ति 02 (दो) चरणों (किस्तों) में की जायेगी।

3. संकल्प संख्या 782 दिनांक 17.05.2018 की कंडिका–6 के बाद निम्न कंडिका 6 (क) जोड़ा जाता है :–

6 (क) इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। लक्ष्य के अनुरूप आवेदन नहीं प्राप्त होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष के द्वितीय एवं तृतीय तिमाही में भी आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के अंदर, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा विभाग से प्रारंभिक जांच किये गये आवेदनों की सूची को सम्बंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को भौतिक सत्यापन हेतु अग्रसारित की जायेगी। तत्पश्चात तकनीकी विकास निदेशालय चयनित एवं सत्यापित लाभुकों को प्रशिक्षण एवं DPR बनाने हेतु विभाग द्वारा सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों में 02 सप्ताह के लिए भेजेगी। प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त चयन समिति DPR के अनुसार परियोजना की कुल राशि स्वीकृत करेगी जिसकी विमुक्ति अधिकतम दो चरणों में की जायेगी। चरणवार राशि की विमुक्ति का प्रतिशत लाभुक द्वारा चुने हुए उद्यम पर निर्भर करेगा जिसकी विवरणी DPR में वर्णित रहेगा। आवेदक द्वारा प्रथम किश्त की राशि प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर व्यय कर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के सत्यापन के पश्चात 03 कार्य दिवस के अंदर द्वितीय किश्त की राशि स्वीकृत कर दी जायेगी। अपेक्षित 30 दिनों के अंदर व्यय नहीं हो पाने की स्थिति में महाप्रबंधक व्यक्तिगत अभिरूची लेते हुए

लाभुक को 15 दिनों में कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। फिर भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगां द्वितीय किश्त के विमुक्ति के पश्चात लाभुक द्वारा अधिकतम 45 दिनों में उत्पादन प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के एक माह पूर्व से आवेदक को निर्धारित किश्त के सम्बन्ध में सूचना निर्गत करते हुए ऋण की वसूली सुनिश्चित की जायेगी। इस योजना का लाभ परिवार (पति–पत्नी एवं उनके अवयस्क संतान) के सिर्फ एक सदस्य को दिया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में भविष्य में कोई कठिनाई आती है तो विभाग अपने स्तर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगा।

4. संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 एवं संकल्प ज्ञापांक 204 दिनांक 04.02.2020 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

5. यह संशोधन संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

6. दिनांक 19.04.2021 को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा मद संख्या– 03 के रूप में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(ब्रजेश मेहरोत्रा), 13/5/21
अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1036 पटना, दिनांक : 13/05/2021

सं0सं0–4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/2018

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 1000 प्रतियाँ मुद्रित कर विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

अपर मुख्य सचिव, 13/5/21
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1036 पटना, दिनांक : 13/05/2021

सं0सं0–4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार(ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव, 13/5/21
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1036 पटना, दिनांक : 13/05/2021

सं0सं0–4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/2018

प्रतिलिपिः– सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव/मंत्री, उद्योग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/5/21

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1036 पटना, दिनांक : 13/05/2021

सं0सं0–4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/2018

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

13/5/21

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1036 पटना, दिनांक : 13/05/2021

सं0सं0–4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/2018

प्रतिलिपिः– आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

13/5/21

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषय :–राज्य के महिलाओं के बीच उद्यमिता/स्व–रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजना हेतु रु0 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रुपये) की स्वीकृति।

उद्योग विभागीय संकल्प संख्या–782 दिनांक–17.05.2018 एवं संकल्प संख्या–204 दिनांक 04.02.2020 द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने में अभिरूचि पैदा करने के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना लागू है। इसी क्रम में राज्य की महिलाओं में उद्यमिता/स्व–रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना** लागू किया जाता है।

2. राज्य की महिलाओं द्वारा स्व–रोजगार हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिये कोलेटरल सेक्युरिटी (प्रतिभूति) एवं मार्जिन मनी हेतु राशि नहीं रहने के कारण ऋण स्वीकृत नहीं हो पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग, बिहार, पटना के द्वारा राज्य की महिलाओं को उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना लागू किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत Transgender को भी समान लाभ दिया जायेगा।

3. इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।

4. इस योजना अर्न्तगत लाभार्थियों की योग्यता निम्नवत है :–

i. बिहार के निवासी हों।

ii. कम–से–कम 10+2 या इन्टरमीडियट, आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो।

iii. 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा के अन्तर्गत हों।

iv. इकाई प्रोपराईटरशीप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP अथवा Pvt.Ltd.Company हो।

v. प्रोपराईटरशीप व्यवसाय उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जायेगा।

5. इस योजना अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन निम्नरूपेण किया जाता है :–

i.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना	– अध्यक्ष
ii.	निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय	– सदस्य–सह–सचिव
iii.	उद्योग निदेशक, बिहार, पटना	– सदस्य
iv.	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वित्त निगम, पटना	– सदस्य
v.	विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार	– सदस्य
vi.	उप उद्योग निदेशक, योजना प्रभारी, उद्योग विभाग	– सदस्य
vii.	महिला विकास निगम, बिहार, पटना के प्रतिनिधि	– सदस्य
viii.	चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना के प्रतिनिधि	– सदस्य
ix.	विकास प्रबंधन संस्थान, पटना के प्रतिनिधि	– सदस्य
x.	अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ, पटना	– सदस्य
xi.	अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, पटना	– सदस्य

6. इस योजनान्तर्गत लाभुकों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किया जायेगा। चयन समिति द्वारा परियोजना के लिए राशि का मूल्यांकन उद्यमी की आवश्यकताओं को देखते हुए की जायेगी एवं आवश्यक राशि स्वीकृत की जायेगी।

7. इस योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन, राशि की स्वीकृति/विमुक्ति एवं ऋण की वसूली निम्न प्रक्रिया के तहत की जायेगी :–

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। लक्ष्य के अनुरूप आवेदन नहीं प्राप्त होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष के दूसरे एवं तृतीय तिमाही में भी आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के अंदर, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा विभाग से प्रारंभिक जांच किये गये आवेदनों की सूची को सम्बंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को भौतिक सत्यापन हेतु अग्रसारित की जायेगी। तत्पश्चात तकनीकी विकास निदेशालय चयनित एवं सत्यापित लाभुकों को प्रशिक्षण एवं DPR बनाने हेतु विभाग द्वारा सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों में 02 सप्ताह के लिए भेजेगी। प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त चयन समिति DPR के अनुसार परियोजना की कुल राशि स्वीकृत करेगी जिसकी विमुक्ति अधिकतम दो चरणों में की जायेगी। चरणवार राशि की विमुक्ति का प्रतिशत लाभुक द्वारा चुने हुए उद्यम पर निर्भर करेगा जिसकी विवरणी DPR में वर्णित रहेगा। आवेदक द्वारा प्रथम किश्त की राशि प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर व्यय कर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के सत्यापन के पश्चात 03 कार्य दिवस के अंदर द्वितीय किश्त की राशि स्वीकृत कर दी जायेगी। अपेक्षित 30 दिनों के अंदर व्यय नहीं हो पाने की स्थिति में महाप्रबंधक व्यक्तिगत अभिरूची लेते हुए लाभुक को 15 दिनों में कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। फिर भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगां द्वितीय किश्त के विमुक्ति के पश्चात लाभुक द्वारा अधिकतम 45

दिनों में उत्पादन प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के एक माह पूर्व से आवेदक को निर्धारित किश्त के सम्बन्ध में सूचना निर्गत करते हुए ऋण की वसूली सुनिश्चित की जायेगी। इस योजना का लाभ परिवार (पति–पत्नी एवं उनके अवयस्क संतान) के सिर्फ एक सदस्य को दिया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में भविष्य में कोई कठिनाई आती है तो विभाग अपने स्तर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगा।

8. इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम रु0 10.00 लाख का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु0 5.00 लाख ब्याज रहित ऋण स्वीकृत किया जायेगा तथा योजना के तहत अंतिम किस्त के भुगतान के 01 (एक) वर्ष के उपरान्त इसकी वसूली बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 सामान किस्तों में की जायेगी। लाभुक द्वारा ऋण की अयादगी समय पर न किये जाने या किसी अन्य प्रकार की वित्तीय अनियमितता किये जाने पर सन्निहित राशि की वसूली सरकारी भू–राजस्व के रूप में की जायेगी। योजना की शेष 50 प्रतिशत राशि, अधिकतम रु0 5.00 लाख विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी के रूप में स्वीकृत की जायेगी। कुल परियोजना लागत 50:50 के ऋण एवं अनुदान में होगी। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई रू0 25,000/– के दर से व्यय किया जायेगा।

9. इस योजना के अन्तर्गत केवल नये उद्योगों के स्थापना के लिए लाभ देय होगा। इन इकाईयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 का भी लाभ देय होगा।

10. **बजट शीर्ष एवं बजट का उपबंध**– इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102–लधु उद्योग, उपशीर्ष–0109–मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना–सात निश्चय–2 एवं

मुख्य शीर्ष 6851–ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102–लघु उद्योग, उपशीर्ष–0103–मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना–सात निश्चय–2 में प्राप्त बजट की राशि से की जायेगी।

11. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से CFMS के माध्यम से बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट को एकमुश्त राशि उपलब्ध करायेंगे।

12. आवेदन पत्रों की स्वीकृति उपलब्ध बजट अधिसीमा के अन्तर्गत की जायेगी। साथ ही योजना के तहत आवंटित राशि का 75 प्रतिशत व्यय हो जाने पर अतिरिक्त आवंटन की मांग की जायेगी।

13. महिला आबादी के अनुसार इस योजना का जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।

14. दिनांक 19.04.2021 को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा मद संख्या– 07 के रूप में प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है।

15. यह योजना संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(ब्रजेश मेहरोत्रा),
अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1037 पटना, दिनांक : 13/05/2021

सं0सं0–4तक0/महिला उद्यमी/144/2020

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 1000 प्रतियाँ मुद्रित कर विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1037 पटना, दिनांक : 13/05/2021

सं0सं0–4तक0/महिला उद्यमी/144/2020

प्रतिलिपिः– महालेखाकार(ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1037 पटना, दिनांक : 13/05/2021

सं0सं0–4तक0/महिला उद्यमी/144/2020

प्रतिलिपिः– सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव/मंत्री, उद्योग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1037 पटना, दिनांक : 13/05/2021

सं0सं0–4तक0/महिला उद्यमी/144/2020

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

13/5/21

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1037 पटना, दिनांक : 13/05/2021

सं0सं0–4तक0/महिला उद्यमी/144/2020

प्रतिलिपिः– आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

13/5/21

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषय :–राज्य के युवाओं के बीच उद्यमिता/स्व–रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजना हेतु रु0 200.00 (दो सौ) करोड़ की स्वीकृति।

उद्योग विभागीय संकल्प संख्या–782 दिनांक–17.05.2018 एवं संकल्प संख्या–204 दिनांक 04.02.2020 द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने में अभिरूचि पैदा करने के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना लागू है। इसी क्रम में राज्य के युवाओं के बीच स्व–रोजगार/उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना** लागू किया जाता है।

2. राज्य के युवाओं द्वारा स्व–रोजगार हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिये कोलेटरल सेक्युरिटी (प्रतिभूति) एवं मार्जिन मनी के लिए राशि नहीं रहने के कारण ऋण स्वीकृत नहीं हो पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग, बिहार, पटना के द्वारा राज्य के युवाओं को स्व–रोजगार/उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना लागू किया जा रहा है।

3. इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।

4. इस योजना अर्न्तगत लाभार्थियों की योग्यता निम्नवत है :–

i. बिहार के निवासी हो।

ii. कम–से–कम 10+2 या इन्टरमीडियट, आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उतीर्ण हो।

iii. 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा के अन्तर्गत हों।

iv. इकाई प्रोपराईटरशीप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP अथवा Pvt.Ltd.Company हो।

v. प्रोपराईटरशीप व्यवसाय उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जायेगा।

vi. सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूष इस योजना के लिए पात्र होंगे।

5. इस योजना अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन निम्नरूपेण किया जाता है :–

i.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना	–	अध्यक्ष
ii.	निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय	–	सदस्य–सह–सचिव
iii.	उद्योग निदेशक, बिहार, पटना	–	सदस्य
iv.	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वित्त निगम, पटना	–	सदस्य
v.	विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार	–	सदस्य
vi.	उप उद्योग निदेशक, योजना प्रभारी, उद्योग विभाग	–	सदस्य
vii.	चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना के प्रतिनिधि	–	सदस्य
viii.	विकास प्रबंधन संस्थान, पटना के प्रतिनिधि	–	सदस्य
ix.	अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ, पटना	–	सदस्य
x.	अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, पटना	–	सदस्य

6. इस योजनान्तर्गत लाभुकों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किया जायेगा। चयन समिति द्वारा परियोजना के लिए राशि का मूल्यांकन उद्यमी की आवश्यकताओं को देखते हुए की जायेगी एवं आवश्यक राशि स्वीकृत की जायेगी।

7. इस योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन, राशि की स्वीकृति/विमुक्ति एवं ऋण की वसूली निम्न प्रक्रिया के तहत की जायेगी :–

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। लक्ष्य के अनुरूप आवेदन नहीं प्राप्त होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष के दूसरे एवं तृतीय तिमाही में भी आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के अंदर, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा विभाग से प्रारंभिक जांच किये गये आवेदनों की सूची को सम्बंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को भौतिक सत्यापन हेतु अग्रसारित की जायेगी। तत्पश्चात तकनीकी विकास निदेशालय चयनित एवं सत्यापित लाभुकों को प्रशिक्षण एवं DPR बनाने हेतु विभाग द्वारा सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों में 02 सप्ताह के लिए भेजेगी। प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त चयन समिति DPR के अनुसार परियोजना की कुल राशि स्वीकृत करेगी जिसकी विमुक्ति अधिकतम दो चरणों में की जायेगी। चरणवार राशि की विमुक्ति का प्रतिशत लाभुक द्वारा चुने हुए उद्यम पर निर्भर करेगा जिसकी विवरणी DPR में वर्णित रहेगा। आवेदक द्वारा प्रथम किश्त की राशि प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर व्यय कर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के सत्यापन के पश्चात 03 कार्य दिवस के अंदर द्वितीय किश्त की राशि स्वीकृत कर दी जायेगी। अपेक्षित 30 दिनों के अंदर व्यय नहीं हो पाने की स्थिति में महाप्रबंधक व्यक्तिगत अभिरूची लेते हुए लाभुक को 15 दिनों में कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। फिर भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगां द्वितीय किश्त के विमुक्ति के पश्चात लाभुक द्वारा अधिकतम 45 दिनों में उत्पादन प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा अग्रेतर कार्यवाही की

जायेगी। परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के एक माह पूर्व से आवेदक को निर्धारित किश्त के सम्बन्ध में सूचना निर्गत करते हुए ऋण की वसूली सुनिश्चित की जायेगी। इस योजना का लाभ परिवार (पति–पत्नी एवं उनके अवयस्क संतान) के सिर्फ एक सदस्य को दिया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में भविष्य में कोई कठिनाई आती है तो विभाग अपने स्तर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगा।

8. इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम रु0 10.00 लाख का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु0 5.00 लाख 1% (एक प्रतिशत) ब्याज सहित ऋण स्वीकृत की जायेगी तथा योजना के तहत अंतिम किस्त के भुगतान के 01 (एक) वर्ष के उपरान्त इसकी वसूली बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 सामान किस्तों में की जायेगी। लाभुक द्वारा ऋण की अदायगी समय पर न किये जाने या किसी अन्य प्रकार की वित्तीय अनियमितता किये जाने पर सन्निहित राशि की वसूली सरकारी भू–राजस्व के रूप में की जायेगी। योजना का शेष 50 प्रतिशत राशि, अधिकतम रु0 5.00 लाख विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी के रूप में स्वीकृत की जायेगी। कुल परियोजना लागत 50:50 के ऋण एवं अनुदान में होगी। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई रू0 25,000/– के दर से व्यय किया जायेगा।

9. इस योजना के अन्तर्गत केवल नये उद्योगों के स्थापना के लिए लाभ देय होगा। इन इकाईयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 का भी लाभ देय होगा।

10. **बजट शीर्ष एवं बजट का उपबंध**– इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102–लधु उद्योग, उपशीर्ष–0108–मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना–सात निश्चय–2 एवं

मुख्य शीर्ष 6851–ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102–लघु उद्योग, उपशीर्ष–0102–मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना–सात निश्चय–2 में प्राप्त बजट की राशि से की जायेगी।

11. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से CFMS के माध्यम से बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट को एकमुश्त राशि उपलब्ध करायेंगे।

12. आवेदन पत्रों की स्वीकृति उपलब्ध बजट अधिसीमा के अन्तर्गत की जायेगी।

13. लक्षित आबादी के अनुसार इस योजना का जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।

14. दिनांक 19.04.2021 को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा मद संख्या– 08 के रूप में प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है।

15. यह योजना संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(ब्रजेश मेहरोत्रा),
अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1038 पटना, दिनांक : 13/05/2021
सं0सं0–4तक0/युवा उद्यमी/145/2020
प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 1000 प्रतियाँ मुद्रित कर विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1038 पटना, दिनांक : 13/05/2021
सं0सं0–4तक0/युवा उद्यमी/145/2020
प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1038 पटना, दिनांक : 13/05/2021
सं0सं0–4तक0/युवा उद्यमी/145/2020
प्रतिलिपि : सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव/मंत्री, उद्योग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1038 पटना, दिनांक : 13/05/2021

सं0सं0–4तक0/युवा उद्यमी/145/2020

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

13/5/21

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1038 पटना, दिनांक : 13/05/2021

सं0सं0–4तक0/युवा उद्यमी/145/2020

प्रतिलिपि : आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

13/5/21

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।